



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240247
CG-DL-E-14112022-240247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5035]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 14, 2022/कार्तिक 23, 1944

No. 5035]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022/KARTIKA 23, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2022

का.आ. 5254(अ).— केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, आधिकारिक राजपत्र संख्या एस.ओ. 1403 (अ), दिनांक 4 सितंबर, 2006, अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन और करती है अर्थात् : —

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 3, 4 और 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित संशोधित संख्याएँ और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात् : —

“3 सुश्री दिया कुमारी,
संसद सदस्य (लोक सभा)

— सदस्य

वह अधिसूचना का.आ. (अ)..... के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष तक या उनके लोक सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगी।”

4 श्री कीर्ति वर्धन सिंह,
संसद सदस्य (लोक सभा)

— सदस्य

वह अधिसूचना का.आ. (अ)..... के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष तक या उनके लोक सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।”

5 श्री सुषील कुमार मोदी,
संसद सदस्य (राज्य सभा)

— सदस्य

वह 02.04.2024 तक या उनके राज्य सभा के सदस्य रहने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।”

[फा. सं. 15-6/2022-रा.व्या.सं.प्रा.]

डॉ. एस.पी. यादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक (व्याघ्र परियोजना)

टिप्पणः— राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने वाली प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक का.आ. 1403 (अ), दिनांक 4 सितंबर, 2006 और अंतिम बार संशोधित, अधिसूचना संख्या का.आ. 232 (अ), दिनांक 13 जनवरी, 2020

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

S.O. 5254(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, published in the official Gazette *vide* number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely: —

In the said notification, for serial number 3, 4 and 5 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

“3. Ms. Diya Kumari,
Member of Parliament (Lok Sabha)

- Member

(She shall hold office till three years from the date of publication of notification number S.O. (E), or till she ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier).

4. Shri Kirti Vardhan Singh,
Member of Parliament (Lok Sabha)

- Member

(He shall hold office till three years from the date of publication of notification number S.O. (E), or till he ceases to be a Member of Lok Sabha, whichever is earlier).

5. Shri Sushil Kumar Modi,
Member of Parliament (Rajya Sabha)

- Member

(He shall hold office till the 2nd April, 2024 or he ceases to be a Member of Rajya Sabha, whichever is earlier)”.

[F.No. 15-6/2022-NTCA]

Dr. S.P. YADAV, Additional Director General of Forests (Project Tiger)

Note: The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1403 (E), dated the 4th September, 2006 and last amended, *vide*, notification number S.O. 232 (E), dated the 13th January, 2020.